

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(ओ-1233/2013)/अलेसे-III/6।

दिनांक :- 10/1/2023

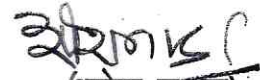
कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी-II को उनके आवेदन के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंस मुम्बई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निम्नांकित ऑनलाईन कोर्स किये जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क.सं.	लिंक नं.	नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	कोर्स का नाम	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12206	ओमाराम	Master's program in international Election Management & Practice (MIEMP) Two Year (2022-24)	Election Commission of India (ECI) Through India International Institute of Democracy and Election Management (IIDEM) and Tata Institute of Social Sciences (TISS) Mumbai	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड नागौर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)

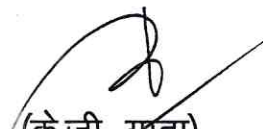
निदेशक एवं पादेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 10/1/2023

क्रमांक : एफ.4(ई)(ओ-1233/2013)/अलेसे-III/6।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड नागौर।
3. श्री ओमाराम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड नागौर।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)